(19)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2012 रायपुर, दिनांक

कार्यालय सूचना

दिनांक 07 नवम्बर, 2012 से मंत्रालय नई राजधानी में स्थानांतरित हो चुका है। विधान सभा सचिवालय से मंत्रालय की दूरी अत्यधिक होने के कारण मंत्रालय से संबंधित डाक दिन में दो बार ही लगा करेगी। अतः इस संबंध में समस्त शाखा प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि भोजन अवकाश के पूर्व निर्गम शाखा में प्राप्त होने वाली डाक उसी दिन अपरान्ह में लगाई जाएगी तथा भोजन अवकाश के पश्चात प्राप्त होने वाली डाक दूसरे दिन प्रातः 11.00 बजे मंत्रालय भेजी जाएगी।

अतः समस्त शाखा प्रभारियों से अपेक्षा है कि डाक की महत्ता/आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त निर्धारित समयावधि से पूर्व डाक निर्गम शाखा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भेजे जाने वाले समस्त पत्र संबंधित विभाग को फैक्स से भी भेजे जाएँ और नस्ती में प्रभारी अधिकारी इसका उल्लेख भी करें।

आदेश से,

हस्ता/-

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 14127/वि.स./स्था./2012 रायपुर, दिनांक 10-12-2012

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

वित्तीय समिति अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(100)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6402 / वि.स. / स्था. / 2013, रायपुर, दिनॉक 10.5. 2013.

कार्यालय–आदेश

विधान सभा सचिवालय से मंत्रालय की अत्यधिक दूरी को देखते हुए मंत्रालय स्थित राज्य शासन के विभागों में विधानसभा सचिवालय की डाक लगाने के संबंध में यह व्यवस्था की जा रही है कि विभागों को लगाई जानेवाली डाक फैक्स एवं ई–मेल से भेजी जाए तथा संबंधित शाखा के अनुभाग अधिकारी यह सुनिश्चित भी करें कि फैक्स एवं ई–मेल संबंधित विभागों को प्राप्त हो गए हैं । अत्यंत अत्यावश्यक होने पर संबंधित शाखा के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर ही डाक उसी दिन मंत्रालय में लगाने हेतु भेजी जायेगी, अन्यथा स्थिति में डाक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही मंत्रालय में लगाई जायेगी ।

अतः आदेशानुसार समस्त शाखा प्रभारियों को यह सूचित किया जाता है कि डाक लगाने के संबंध में उक्त व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

निर्गम शाखा के प्रभारी अनुभाग अधिकारी भी डाक लगाने के पूर्व निर्गम शाखा के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी से डाक लगाने के संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे ।

आदेश से,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र. 6403 / वि.स. / स्था. / 2013, रायपुर, दिनॉक 10/5/2013.

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. निज सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवाल, रायपुर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. समस्त अधिकारी / शाखा प्रभारी / कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा